न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 —71/2021(2021/00111)

अनवान : —

ओमप्रकाश पुत्र पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा, तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मृतक पवनकुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी भादरा त भादरा।

1/1 निर्मलादेवी पत्नी पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न(भादरा तहसील भादरा।

1/2 कविता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, तहसील भादरा।

1/3 अनीता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, तहसील भादरा।

1/4 सुनीता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, तहसील भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीग

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तका
अधिनियम

उपरिथति :— श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री सुरेन्द्र गढ़वाल प्रतिवादीग

निर्णय

दिनांक : 06/1

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल 2073—76 के वर्तमान खाता संख्या 64/16 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 23/2, मुरब्बा न0 32 के किला न0 2/1, 3/1 इस प्रकार कुल किता 4 की 443 हैक्टेयर पवनकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एव मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा चिरंजील खातेदारी हुआ करती थी। चिरंजीलाल से विरासतन वादभूमि जो प्रतिवादी पव

ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी पवनकुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी पवनकुमार के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी पवनकुमार को वादी के दादा चिरंजीलाल से विरासतन प्राप्त हुई है। पत्रावली में प्रतिवादी पवनकुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/4 तक ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी ओमप्रकाश पुत्र पवनकुमार जाति महाजन निवासी भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 5 सीएचएन सम्वत 2073–76 खाता संख्या 64/16 प्रदर्श 1, पार्षद द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, मृत्यु प्रमाण पत्र चित्रप्रति प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1/1 वादी की माता है एवं प्रतिवादी संख्या 1/2 से 1/4 तक वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 64/16 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 22/2, 23/2, मुरब्बा न0 32 के किला न0 2/1, 3/1 इस प्रकार

। दज

कुल किता 4 का कुल 0.4443 हैक्टेयर मृतक पवनकुमार के नाम राजस्व रिकार्ड म
है। वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 64/16 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 22/2, 23/2, मुरब्बा न0 32 के किला न0 2/1, 3/1 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 0.443 हैक्टेयर पवनकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें पवनकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादी ओमप्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्डअधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –71/2021(2021/00111)

अनवान : –

ओमप्रकाश पुत्र पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. मृतक पवनकुमार पुत्र चिरंजीलाल जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा।

1/1 निर्मलादेवी पत्नी पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा तहसील भादरा।

1/2 कविता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा तहसील भादरा।

1/3 अनीता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा तहसील भादरा।

1/4 सुनीता पुत्री पवनकुमार जाति महाजन निवासी वार्ड न0 24, भादरा तहसील भादरा।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादी श्री सुरेन्द्र गढवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 जेएसएल सम्वत 2073–76 के वर्तमान खाता संख्या 64/16 के मुरब्बा न0 24 के किला न0 22/2, 23/2, मुरब्बा न0 32 के किला न0 2/1, 3/1 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 0.443 हैक्टेयर पवनकुमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें पवनकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादी ओमप्रकाश को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/4/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़